कमिश्नर ही बदल सकेंगे जमीनों का भू-उपयोग

लखनऊ,विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने इज ऑफ डूइंग के आधार पर सार्वजनिक उपयोग और आरक्षित श्रेणी की जमीनों का भू-उपयोग बदलने का अधिकार मंडलायुक्तों को दे दिया है। अभी तक यह अधिकार शासन के पास हुआ करता था। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में संशोधन किया गया है। राजस्व संहिता की धारा-219 के अधीन शक्तियों की व्यवस्था की गई है। शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, पीपीपी मॉडल पर निजी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और ऐसी निवेश परियोजनाएं जिन्हें शासन की विभिन्न नीतियों में लेटर ऑफ कंफर्ट जारी हो चुका है, के मामलों में चकरोक व नाली आदि की भूमि के विनियमन का अधिकार मंडलायुक्तों को दिया गया है।